संख्या-28/2018/क0नि0-4-631/11-2018-300(39)/10

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 27 जून, 2018**

विषयः- वाणिज्य कर विभाग में सेवक, हास्टल कुक तथा माली की सेवायें सेवा प्रदाय संस्था के माध्यम से लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स्था0-3(क)/संविदा सेवक(2018-19)/985/वाणिज्य कर, दिनांक 22 मई, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग में 600 सेवक, 03 हॉस्टल कुक तथा 02 माली की संख्या के भीतर सेवायें नियमानुसार पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से सेवा प्रदाय संस्था के माध्यम से सेवा संविदा के आधार पर प्रदान किये जाने की सहर्ष अनुमति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(i) यह स्वीकृति केवल वित्तीय वर्ष-2018-19 के लिए प्रदान की जा रही है। टेण्डर आदि की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(ii) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 परिशिष्ट-19 में दी गयी व्यवस्था एवं वित्त (लेखा), अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-1173/दस-2001-10(55)/2000, दिनांक 27.04.2001, संख्या-ए-1-484/दस-2004-10(55)/2000, दिनांक 04.11.2004 एवं संख्या-ए-1-1010/दस-2005-10(55)/ 2000, दिनांक 30.06.2006 के प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

2- इस समबन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2018-19 में सम्बन्धित मानक मद में होना आवश्यक होगा। बजट व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।

3- श्रम विभाग के न्यूनतम मजदूरी विषयक संगत शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या-क0नि0-4-905/11-2012-300(39)/2010, दिनांक 25.09.2012 का पूर्णरूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष-2018-19 की अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-28/2018/क0नि0-4-631/11-2018, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
5. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल/समीक्षा अधिकारी (बजट)।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।